राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 227 / 2025	तारीख रजू 12.06.2025	निर्णय दिनांक 27.10.25

उनवान:

1. राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री रतीराम जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।

...........वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।

....प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थितिः– श्री जितेन्द्र कुमार जांगिड़ योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1039, 1083, 204, 232, 257, 307, 410, 411, 63, 713, 742, 766, 767, 877, 929, 932, 953, 990, 145, 332, 55, 817, 838 वाके ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना के हिस्सा–1/6 एवं खसरा नम्बर 212 वाके ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना के हिस्सा–1/12 का खातेदार वादी दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदारी हिस्सा वादी को वादी के पिताजी की विरासत के जरिये प्राप्त हुआ है। वादी के पिताजी की विरासत का इंतकाल भरते समय राजस्व कर्मचारियो ने वादी का सही नाम की विना जांच पडताल किये ही वादी का गांव मे बोलता नाम कृष्ण पुत्र रतिराम दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम राजेन्द्रप्रसाद यादव पुत्र रतीराम है। वादी भारतीय सेना मे सेवारत है। वादी के सभी दस्तावेजात जैसे सर्विस रिकार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि मे वादी का सही नाम राजेन्द्रप्रसाद यादव पुत्र. रतीराम दर्ज है। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान मे वादी का गलत नाम कृष्ण पुत्र रतिराम दर्ज किया हुआ है। कृष्ण पुत्र रतीराम व राजेन्द्रप्रसाद यादव पुत्र. रतीराम दोनो वादी के ही नाम है। इन नामो के अलग–अलग नाम नही है। लेकिन राजस्व रिकार्ड मे राजस्व कर्मचारीयो द्वारा मिन वादी के पिताजी के विरासत इंतकाल मे वादी का गांव मे बोलता नाम कृष्ण पुत्र रतीराम गलत दर्ज कर दिया गया जिससे वादी के हक हकूक प्रभावित होते है। इसलिए उपरौक्त खसरा नम्बरान मे वादी के गलत नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया। पत्रावली वास्ते तनकीयात नियत की गई।

उभय पक्षो के अभिवचनो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

(1) आया वादी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1039, 1083, 204, 232, 257, 307, 410, 411, 63, 713, 742, 766, 767, 877, 929, 932, 953, 990, 145, 332, 55, 817, 838 ,212 वाके ग्राम सलारपुर मे दुरूस्त करवाने का अधिकारी है ?

.......वादी

(2) आया वादी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1039, 1083, 204, 232, 257, 307, 410, 411, 63, 713, 742, 766, 767, 877, 929, 932, 953, 990, 145, 332, 55, 817, 838 212 वाके ग्राम सलारपुर मे कृष्ण पुत्र रतीराम को राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र रतीराम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है?

...वादी

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

3. अन्य अनुतोष ?

वादी ने अपने दावा के समर्थन मे पी.ड.–1 स्वंय वादी राजेन्द्रप्रसाद यादव के व पी.ड.–2 देवेन्द्र कुमार कुमार के तथा पी.ड.–3 संदीप यादव के बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श सं0 1 से प्रदर्श सं0 14 पेश किये गये है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

उभय पक्षकार उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद पूर्ण रूप से साबित होने के कारण वादी का वाद डिक्री फरमाया जाने के तर्क दिये गये। पैरोकार सरकार द्वारा अपने जबाब दावा के समर्थन मे तर्क दिये की वादी का वाद डिक्री किया जाने पर कोई राजअहित नही होता है।

हमने वकील वादी की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर वादग्रस्त खसरा नम्बर 1039, 1083, 204, 232, 257, 307, 410, 411, 63, 713, 742, 766, 767, 877, 929, 932, 953, 990, 145, 332, 55, 817, 838, 212 वाके ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना के हाल राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम कृष्ण पुत्र रतीराम दर्ज रिकार्ड है तथा कृष्ण पुत्र रतीराम व राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रतीराम दोनो वादी के ही नाम होना, वादी द्वारा पेश आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र परिवार राशन कार्ड एवं पैन कार्ड आदि मे दर्ज इन्द्राज एवं तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश जबाब दावा एवं वादी व गवाह के शपथ पत्रो से साबित होने के कारण वादी का वाद डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

|| आदेश ||

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 1039, 1083, 204, 232, 257, 307, 410, 411, 63, 713, 742, 766, 767, 877, 929, 932, 953, 990, 145, 332, 55, 817, 838, 212 वाके ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना जिला कोटपूतलजी–वहरोड की हाल जमाबन्दी के खातेदारी कॉलम मे जहां पर " कृष्ण पुत्र रतीराम " दर्ज है, उसे दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर " कृष्ण उर्फ राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र रतीराम " दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमावन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो तथा पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्र सिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–वहरोड) राज0

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 227 / 2025	तारीख रजू 12.06.2025	निर्णय दिनांक 27.10.25

उनवानः

1. राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री रतीराम जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

...........वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

....प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थितिः– श्री जितेन्द्र कुमार जांगिड़ योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।

।। निर्णय ।।

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 1039, 1083, 204, 232, 257, 307, 410, 411, 63, 713, 742, 766, 767, 877, 929, 932, 953, 990, 145, 332, 55, 817, 838,212 वाके ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना जिला कोटपूतलजी–बहरोड की हाल जमाबन्दी के खातेदारी कॉलम मे जहां पर " कृष्ण पुत्र रतीराम " दर्ज है, उसे दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर " कृष्ण उर्फ राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र रतीराम " दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.10.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0